तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **खेम सिंह जोधा बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, देचू)** सू.अ.अपील संख्या 128/2022	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.06.22	अपीलार्थी खेम सिंह जोधा निवासी ग्राम/पोस्ट शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.03.2022 में उसके द्वारा (1) कार्यालय तहसीलदार, देचू की माह दिसम्बर, 2018 की रोकड़ बहीकी नियमानुसार प्रमाणित छायाप्रति (2) कार्यालय तहसीलदार, देचू के द्वारा वर्ष 2018–19 में व्यय बजट की मदवार प्रमाणित सूची मय राशि के उपलब्ध करवाने से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, देचू) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, देचू) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, देचू) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, देचू) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	